

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (ख) विविध परिपत्र/ अलेसे-1/1280

दिनांक :- 04.02.2022

परिपत्र

निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी किये गये स्थानान्तरण आदेशों एवं दिनांक 18.01.2022 को अधीनस्थ लेखा सेवा कर्मियों के किये गये स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में यह जानकारी में आ रहा है कि अनेक स्थानान्तरित कर्मियों द्वारा स्थानान्तरण होने के पश्चात् आदिनांक भी अपने नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया है। सक्षम स्तर से जारी स्थानान्तरण आदेशों की पालना करने में कर्मियों द्वारा विलम्ब करते हुए अब तक भी नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करना एक अत्यन्त गंभीर विषय है।

समस्त स्थानान्तरणाधीन अधीनस्थ लेखा सेवा कर्मियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 07.02.2022 तक अपने नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनकी कार्यग्रहण की सूचना ई-मेल/डाक/ दस्ती इस निदेशालय को अविलम्ब प्राप्त हो जाये। इसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब अथवा लापरवाही को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए कर्मियों के विरुद्ध नियोक्ता प्राधिकारी के आदेशों की अवहेलना किया जाना मानते हुए समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

उल्लेखनीय है राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 4 में किसी कर्मिक द्वारा विधिपूर्ण आदेशों या अनुदेशों की अवज्ञा किए जाने को अनुचित एवं अशोभनीय व्यवहार के रूप में शामिल किया गया है, अतः समस्त लेखा कर्मिक (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II एवं कनिष्ठ लेखाकार) सूचित रहें कि किसी भी लेखा कर्मिक द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना या विलंबित करने को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार माना जायेगा और इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए संबंधित कर्मिक स्वयं उत्तरदायी होगा।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (ख) विविध परिपत्र/ अलेसे-1/1280

दिनांक :- 04.02.2022

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को भेजकर लेख है कि वे स्थानान्तरणाधीन लेखाकर्मिक को अविलम्ब उनके नवपदस्थापन कार्यालय के लिए कार्यमुक्त करने का श्रम करें।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक कोष एवं लेखा, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/II/III)।
5. समस्त कोषाधिकारी।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को परिपत्र वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त संबंधित लेखाकर्मि।
8. रक्षित पत्रावली।


(शिल्पा कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)